9-7-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्रा०पं० रूपपुरा पर प्रस्तुत हुई। वादी सीताराम व प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार उनियारा उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार उनियारा से जवाब

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

(हस्ताक्षर)

लि. सीताराम

लिया गया। दोनो पक्षो को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया गया। पत्रावली संख्या 668 आवंटन वर्ष 1977 आवंटन दिनांक 3-10-77 के द्वारा श्री किशना पुत्र कालू जाति गुजर निवासी रूपपुरा तहसील उनियारा को ग्राम रूपपुरा मे आराजी खसरा 211/1 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा आवंटन हुयी है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से निम्न प्रकार हाल खसरा नम्बरान कायम हुये है-

हाल		साबिक	
ख० नं०	रकबा	ख० नं०	रकबा
730	0-77	91 मी०	—
731	0-44	91 मी	—
737	0-46	211 मी०	8 बीघा 7 बिस्वा

नकल जमाबन्दी सम्वत 2066- 2069 बाबे ग्राम रूपपुरा मे हाल आराजी ख० नं० 730, 731, 737 कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टर सीताराम पुत्र, जमना पुत्री किशना जाति गुजर सा० देह गैरखातेदारी मे दर्ज है।

तहसीलदार उनियारा ने भी अपने जवाब मे माना है कि भूमि आवंटी की है तथा गैरखातेदारी मे दर्ज है। आवंटन के समय (1977) से कब्जा कायम है, लिहाजा वाद स्वीकार कर गैरखातेदारी से खातेदारी ख० नं० 730, 731 व 737 कुल रकबा 1-67 हैक्टर पर स्वीकार किया जा सकता है। चूंकि भूमि विवादरहित होने के कारण वाद पत्र के मदों

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

से खातेदारी नहीं दी जा सकती।

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में राजीव लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये वाद वादीगण को आंशिक डिक्री किया जाकर वादीगण को कुल आराजी खसरा $\frac{730}{0-77}$, $\frac{731}{0-44}$, $\frac{737}{0-46}$ हैक्टेयर वाके किता 3 कुल रकबा 1-67 हैक्टेयर का ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्चा अपना-2 वहन करें। पत्रावली जेरनतीजा होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत रूपपुरा

उनवान

1.सीताराम पुत्र श्रीकिशना जाति गुर्जर निवासी रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

2.जमना पुत्री श्रीकिशना जाति गुर्जर निवासी रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक

2..तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ ,जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 19 वर्ष 2014

वादीगण की ओर से श्री सीताराम प्रतिवादी की और से पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 9.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादीगण को आराजी ख0न0 730 रकबा 0.77, 731 रकबा 0.44, 737 रकबा 0.46 कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टर वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9 माह 7 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner